

¹[नियम 83ख : माल और सेवा कर व्यवसायी के नामांकन का प्रस्तुतीकरण

- (1) माल और सेवा कर व्यवसायी, जो अपने नामांकन को प्रस्तुत करने की वांछा करता है, सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-06** में आवेदन इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा।
- (2) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच जो वह ठीक समझे करवाएं जाने के पश्चात् और **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-07** में आदेश द्वारा ऐसे व्यवसायी के नामांकन को रद्द कर सकेगा।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 33/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.07.2019 द्वारा नियम 83ख अंतःस्थापित। यह संशोधन प्रभावशील नहीं किया गया है।